<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>27.11.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दीमापुर उप-आंचलिक कार्यालय ने भारत और दुबई में विभिन्न व्यक्तियों और फर्जी संस्थाओं से संबंधित **106.20 करोड़ रुपये (लगभग)** मूल्य की चल और अचल संपत्तियों के रूप में अपराध की आय (पीओसी) को कुर्क किया है, जिसमें चीन से जुड़ी फर्जी संस्थाएं भी शामिल हैं, जो **"एचपीजेड टोकन"** ऐप और ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी वेबसाइटों के माध्यम से अपने निवेश को दोगुना करने के बहाने निवेशकों से सैकड़ों करोड़ रुपये ठगने में शामिल पाई गईं।

ईडी ने बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी के माइनिंग के लिए पैसा लगाने पर अत्यधिक (एस्ट्रोनॉमिक) रिटर्न के वादे की आड़ में भोले-भाले निवेशकों को ठगने के संबंध में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, कोहिमा (नागालैंड) द्वारा आईपीसी, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसके लिए "एचपीजेड टोकन" नाम के ऐप आधारित टोकन का इस्तेमाल किया गया था।

ईडी की जांच में पता चला है कि 57,000 रुपये के निवेश पर 3 महीने तक प्रतिदिन 4,000 रुपये का रिटर्न देने का वादा किया गया था। निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए शुरू में रिटर्न दिया गया और साथ ही नए निवेश के आकर्षक प्रस्ताव पेश किए गए, जिससे भोले-भाले निवेशकों द्वारा और अधिक निवेश किया गया। इसके बाद, एकत्र किए गए धन को निकाल लिया गया और ऐप/वेबसाइट तक पहुंच नहीं हो पाई।

पीओसी की कुर्की की वर्तमान कार्रवाई पहले की कार्रवाई के क्रम में है, जब ईडी, दीमापुर ने पूरे देश में 44 स्थानों पर तलाशी ली थी और विभिन्न बैंकों/वर्चुअल खातों में फर्जी संस्थाओं द्वारा रखे गए कुल 176.67 करोड़ रुपये के बैलेंस को फ्रीज किया था और 320.53 करोड़ रुपये की कुर्की की थी। अब तक, इस मामले में ईडी, दीमापुर द्वारा फ्रीज और कुर्क की गई कुल पीओसी की कुल राशि 603.40 करोड़ रुपये है।

आगे की जांच हो रही है।